

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता-किशोरपुरा कोटा-09 (राज0), ईमेल:-ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:- 0744-2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2022/6789

दिनांक : 16.11.2022

निमित्त,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए राजस्थान जयपुर

विषय: Land for Extention of Bhamashah Krishi Upaj Mandi Samiti (Raj.)
(Proposal No. FP/RJ/Others/20036/2016)

प्रसंग: आपका ऑनलाईन ई0डी0एस0 दिनांक 16.08.2022 के क्रम में

महोदय,


उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके प्रासंगिक ई0डी0एस0 दिनांक 16.08.2022 में उल्लेखित आक्षेप की बिन्दुवार पूर्ति कर उप वन संरक्षक कोटा ने अपने पत्रांक एफ ()उवसं/तक/2022/10092 दिनांक 09.11.2022 एवं पत्रांक 10344 दिनांक 14.11.2022 से संशोधित रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित की है, जो निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	EDS	EDS Reply
1	पार्ट-1A में Working Plan Prescription Mention किया जाना है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा संशोधन कर संलग्न कर दिया गया है।
2	पार्ट-1A में Violation Details किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें जिम्मेदार कर्मचारी/अधिकारियों का विवरण दिया जाना अपेक्षित है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा पार्ट-1A में संशोधन कर दिया गया है। जिसमें जिम्मेदार संस्था का विवरण दिया गया है।
3	अभी भी Violation किया जा रहा होना अवगत कराया है, जो उप वन संरक्षक स्तर पर रोका जाना अपेक्षित है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा पत्रांक दिनांक 09.11.2022 से अवगत कराया है कि वर्तमान में कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है जिसके संबंध में यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न कर दी गई है।
4	सी0ए0 की राशि 11,40,832/- प्रति हेक्टर की दर से जी जानी प्रस्तावित की गई है, जो उचित नहीं है एव न ही तार्किक प्रतीत होता है। वर्तमान में विभाग द्वारा एनएफएल हेतु 192400/- प्रति हेक्टर की दर से मॉडल स्वीकृत है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा एन0एफ0एल0 की नवीनतम लेबर रेट 259/- के अनुसार गणना कर संलग्न कर दी गई है।
5	उप वन संरक्षक द्वारा 6 कि0मी0 दीवार हेतु 1.59 करोड़ तथा 2 कि0मी0 Existing दीवार हेतु 0.53 करोड़ राशि ली जानी प्रस्तावित की गई है जिसका न तो आधार स्पष्ट किया है तथा न ही U/A की सहमति/वचनबद्धता ली गई है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा इस संबंध में यूजर एजेन्सी से वचनबद्धता ली जाकर संलग्न कर दी गई है।
6	एन0एफ0एल0 का विस्तृत प्राक्कलन नहीं दिया गया है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा एन0एफ0एल0 का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर दिया गया है।
7	डी0एफ0एल0 की विस्तृत प्राक्कलन सी0ए0 स्कीम, भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र डिजिटल मैप, टोपो शीट एवं के0एम0एल0 की जानी है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा एन0एफ0एल0 का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर संबंधित दस्तावेज पार्ट-1A में अपलोड कर दिये गये हैं।
8	प्रस्तावित वनभूमि का गजट नोटिफिकेशन की प्रति अपलोड नहीं है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा गजट नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया गया है।
9	उप वन संरक्षक द्वारा Site Inspection रिपोर्ट में Violation का विस्तृत विवरण नहीं है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा Site Inspection रिपोर्ट में Violation का विस्तृत विवरण संलग्न कर दिया गया है।

10	मुख्य वन संरक्षक की Site Inspection रिपोर्ट नहीं है।	इस कार्यालय के पत्रांक 4588 दिनांक 22.07.2022 से Site Inspection रिपोर्ट पूर्व में प्रेषित की गई है। सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। (प्रति संलग्न)
11	उप वन संरक्षक की अभिशंषा पर हस्ताक्षर नहीं है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा अभिशंषा कर रिपोर्ट संलग्न कर दी गयी है।
12	मुख्य वन संरक्षक की अभिशंषा नहीं है।	इस कार्यालय के पत्रांक 4588 दिनांक 22.07.2022 से अभिशंषा रिपोर्ट पूर्व में प्रेषित की गई है। सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

अतः प्राप्त रिपोर्ट कार्यालय की सहमति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

 (महेश चन्द गुप्ता)
 संभागीय मुख्य वन संरक्षक
 कोटा

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2022/

दिनांक :

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक कोटा को उनके पत्रांक 10092 दिनांक 09.11.2022 एवं पत्रांक 10344 दिनांक 14.11.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
 कोटा

॥ कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा ॥

(Navapura, Civil Lines Raj Bhawan Road Kota Email ID-def.kota.forest@rajasthan.gov.in)

दूरभाष नं०-0744-2322747

क्रमांक:-एफ ()उवसं/तक./ 2022/10092

दिनांक: 9.11.22

निमित्त:-

श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय:- Land for Exemption of Bhamashah Krishi Upaj Mandi Samiti

संदर्भ:- Bhamashah Krishi Upaj Mandi Samiti, kota के पत्रांक 697 दिनांक 11.06.2020 के क्रम में।
महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि उक्त संबंध में उच्च कार्यालय से लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति कर प्रेषित है।

क्र. सं.	आक्षेप	पालना
1	पार्ट-II में working plan prescription किया जाना है।	संशोधन कर दिया गया है।
2	अभी भी violation किया जा रहा होना अवगत कराया है जो उप वन संरक्षक स्तर पर रोका जाना अपेक्षित है।	वर्तमान में कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में यूजर एजेंसी की वचन बद्धता संलग्न कर दी गई है
3	सीए की राशि 1140832/- प्रति हैक्टर की दर से ली जानी प्रस्तावित की गई है जो उचित नहीं है एवं ना ही तार्किक प्रतीत होता है। वर्तमान विभाग द्वारा एनएफएल हेतु 192400/-प्रति हैक्टर की दर से मॉडल स्वीकृत है।	एनएफएल की नवीनतम लेबर दर 259 के अनुसार गणना कर संलग्न कर दीया है
4	उप वन संरक्षक द्वारा 6 कि.मी. दीवार हेतु 1.59 करोड़ तथा 2 कि.मी. Existing दीवार हेतु 0.53 करोड़ राशि ली जानी प्रस्तावित कि गई है जिसका ना तो आधार स्पष्ट किया है तथा न ही V/A की सहमती। बचन बद्धता ली गई है।	यूजर एजेंसी द्वारा वचन बद्धता दी जाकर संलग्न कर दीया गया है
5	एनएफएल का विस्तृत प्राक्कलन नहीं दिया गया है।	संलग्न है
6	डीएफएल का विस्तृत प्राक्कलन CA Scheme, भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र Digital Map, Topo sheet एवं KML की जानी है	संलग्न है
7	प्रस्तावित वन भूमि का गजट नोटिफिकेशन की प्रति अपलोड नहीं है।	अपलोड कर दी गयी है
8	उप वन संरक्षक की Site Inspection रिपोर्ट में violation की विस्तृत विवरण नहीं है।	violation की विस्तृत विवरण एडिसनल इफॉर्मेशन में संलग्न कर दिया गया है
9	मुख्य वन संरक्षक की Site Inspection रिपोर्ट नहीं है।	उच्च कार्यालय से संबंधित है
10	उप वन संरक्षक की अभिशंषा पर हस्ताक्षर नहीं है।	पूर्ति कर दी गई है
11	मुख्य वन संरक्षक की अभिशंषा नहीं है।	उच्च कार्यालय से संबंधित है

भवदीय

उप वन संरक्षक
कोटा



राजस्थान सरकार

वन विभाग

॥ कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा ॥

(Navapura, Civil Lines Raj Bhawan Road Kota Email ID-def.kota.forest@rajasthan.gov.in)

दूरभाष नं०-0744-2322747

क्रमांक-एफ ()उवस/तक / 2022/10344

दिनांक 19-11-22

निमित्त-

श्रीमान समाजीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय- Land for Extention of Bhamashah Krishi Upaj Mandi Samiti

संदर्भ- आपका पत्रांक 6707 दिनांक 14.11.2022 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि उक्त संबंध में लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति कर प्रेषित है।

क्र.सं.	आक्षेप	पालना
1	बिन्दु संख्या -1 में पार्ट-ग के बिन्दु संख्या -5 पर प्रस्तावित वनभूमि हेतु कार्य आयोजना प्लिकप्सन अंकित करना था जबकि आप द्वारा कार्य आयोजना में वन संरक्षक अधिनियम के प्रावधान की प्रति संलग्न कर दी गई है। प्रस्तावित वन भूमि कार्य आयोजना में किस वर्किंग सर्किल में आता है उसका उल्लेख करें।	प्रस्तावित वन भूमि कार्य आयोजना, के अनुसार प्लान वर्किंग सर्किल में आता है
2	बिन्दु संख्या -2 में वन (संरक्षक) अधिनियम उल्लंघन हेतु जिम्मेदार व्यक्ति संस्था का नाम दिया जाना था। यूजर एजेंसी द्वारा नाम प्रस्तावित करने के बावजूद आपके द्वारा पार्ट-ग में नाम अंकित नहीं किये गये हैं।	वन अधिनियम उल्लंघन हेतु जिम्मेदार व्यक्ति के नाम अंकित कर दिये गये हैं।
3	बिन्दु संख्या-3 में आपके द्वारा वर्तमान में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना अंकित किया है जबकि पार्ट-ग में बिन्दु संख्या-12 में अभी भी उल्लंघन किया जाना अंकित किया गया है।	पार्ट-ग में बिन्दु संख्या-12 में आवश्यक संशोधन कर दिया है
4	बिन्दु संख्या-5 में आप से प्रस्तावित दीवार निर्माण का आधार स्पष्ट करने हेतु लिखा गया था। जो नहीं किया गया है।	प्रस्तावित पत्यावर्तित वन भूमि एवं वन भूमि के बीच सीमांकन हेतु दीवार प्रस्तावित किया गया है ताकि वन भूमि में अतिक्रमण नहीं हो पाये।

भवदीय

उप वन संरक्षक
कोटा